



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2726]

नई दिल्ली, रविवार, नवम्बर 20, 2016/कार्तिक 29, 1938

No. 2726]

NEW DELHI, SUNDAY, NOVEMBER 20, 2016/KARTIKA 29, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2016

**का.आ. 3490(अ).**—केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 3408(अ) तारीख 8 नवम्बर, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 8 नवम्बर, 2016 को प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में, खंड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(द) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, राष्ट्रीय या राज्य बीज निगमों, केंद्रीय या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के केंद्रों, इकाइयों या आउटलेटों से बीजों का क्रय करने हेतु, पहचान का सबूत प्रस्तुत करने पर, संदाय के लिए :

परंतु इस खंड के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों से पाँच सौ रुपए अंकित मूल्य के बैंक नोट अभिप्रेत हैं।”।

[फा. सं. 10/03/2016-सीवाई. I]

डा. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 3408(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. का.आ. 3416(अ) तारीख 9 नवम्बर, 2016, का.आ. 3429(अ) तारीख 10 नवम्बर, 2016, का.आ. 3445(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2016, का.आ. 3447(अ) तारीख 13 नवम्बर, 2016, का.आ. 3448(अ) तारीख 14 नवम्बर, 2016, का.आ. 3480(अ) तारीख 17 नवम्बर, 2016 और का.आ. 3489(अ) तारीख 18 नवम्बर, 2016 द्वारा संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th November, 2016

**S.O. 3490(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby further amends the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S.O. 3408(E) dated the 8th November, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 8th November, 2016, namely:—

1. In the said notification, in paragraph 1, after clause (q), the following clause shall be inserted, namely:—

“(r) for making payments towards purchase of seeds from the centres, units or outlets belonging to the Central or State Governments, Public Sector Undertakings, National or State Seeds Corporations, Central or State Agricultural Universities and the Indian Council of Agricultural Research, on production of proof of identity:

Provided that for the purposes of this clause, specified bank notes shall mean bank notes of the denominational value of five hundred rupees.”.

[F. No. 10/03/2016-Cy. I]

Dr. SAURABH GARG, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 3408(E) dated the 8th November, 2016 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 3416(E) dated the 9th November, 2016, S.O.3429(E) dated the 10th November, 2016, S.O. 3445(E) dated the 11th November, 2016, S.O. 3447(E) dated the 13th November, 2016, S.O. 3448(E) dated the 14th November, 2016, S.O. 3480(E) dated the 17th November, 2016 and S.O. 3489(E) dated the 18th November, 2016.